I परिदृश्य

वैश्विक बैंकिंग में सुधार की दिशा में चल रहे प्रयासों में वर्ष 2017-18 के दौरान और अधिक प्रगति हुई। भारत में बैंकों के तुलन-पत्रों में लंबे समय से बनी हुई दबावग्रस्त आस्तियों से उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के प्रयास के तहत रिज़र्व बैंक एक संशोधित फ्रेमवर्क लेकर आया जिसका केंद्रबिंदु था, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता। आगे चल कर पुनर्पूंजीकरण, बैंकों की कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार, इंड-एएस का कार्यान्वयन तथा साइबर सुरक्षा जोखिमों पर नियंत्रण जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

I.1 कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों, भू-राजनैतिक तनावों और बढ़ते हुए व्यापार युद्धों के माहौल में वर्ष 2018 में वैश्विक संवृद्धि की गति कुछ धीमी हो गई। ब्याज दर वृद्धि से उत्पन्न पूंजी बहिर्वाह तथा आस्ति कीमत अस्थिरता, फेड / यूएस द्वारा तुलन-पत्र सामान्यीकरण तथा यूएस डॉलर चलनिधि में कमी के कुछ प्रमाण मिलने चलते वित्तीय स्थितियां- विशेषत: उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में - सख्त हुई हैं। पूरे विश्व में राष्ट्रीय विनियामकीय और पर्यवेक्षी संरचनाओं को बासेल III मानकों के अनुरूप बनाने में प्रगति हुई है, हालांकि विभिन्न क्षेत्राधिकारों में इनकी गति में अंतर रहा है।

I.2 घरेलू क्षेत्र में, विमुद्रीकरण और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अस्थायी प्रभाव दूर होने तथा निवेश चक्र और निर्यातों में मजबूती आने के कारण 2018-19 की पहली छमाही में जीडीपी संवृद्धि में उछाल आया। हालांकि खराब आस्ति गुणवत्ता के लिए प्रावधान करने के कारण 2017-18 में बैंकिंग क्षेत्र को बहुत हानि उठानी पड़ी, किंतु 2018-19 की पहली छमाही के दौरान निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा दिए गए बैंक ऋणों की वृद्धि में मजबूत बहाली से यह संकेत मिलता है कि बैंकों की सेहत में समग्र सुधार आएगा। खुशी की बात यह है कि पिछले वर्ष की निराशाजनक स्थितियों के बाद उद्योगों को ऋण – जिसका सकल ऋणों में प्रमुख हिस्सा है, में तेजी आई है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की दबावग्रस्त आस्तियों की वृद्धि-दर में एक उच्च स्तर पर पहुँचने के बाद ही सही, अब स्थिरता आनी प्रारंभ हो गयी है, पूंजी स्थितियों को नियंत्रित कर लिया गया है तथा सितंबर 2018 के अंत में प्रावधान कवरेज अनुपात सुधर कर 52.4 प्रतिशत हो गया। ये सभी गतिविधियां अर्थव्यवस्था में बैंकों तथा अन्य वित्तीय मध्यस्थों के लिए शुभ संकेत हैं, क्योंकि वे पिछले छह वर्षों में खोई हुई गति को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

I.3 भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक भाग, जिसमें प्रतिकूल समष्टि वित्तीय हालात के बावजूद मजबूती से संवृद्धि हो रही है, वह है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र, वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में इसका समेकित तुलन-पत्र विस्तार 17 प्रतिशत से भी अधिक रहा जिसमें आस्ति वित्त कंपनियाँ और निवेश कंपनियाँ अग्रणी रहीं। कुछ बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एनबीएफसी-एमएफआई) लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के रूप में परिवर्तित हो गयी हैं। वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में एनबीएफसी ने अपनी लाभप्रदता की स्थिति बनाए रखी तथा अग्रसक्रियता दर्शाते हुए आस्ति-देयता असंतुलन के बारे में हाल की चिंताओं का समाधान तलाशा जा रहा है।

I.4 वर्ष 2017-18, जो इस रिपोर्ट की समीक्षा की अवधि है, को पाँच कारणों से भारत में बैंकिंग प्रणाली के विकास में आमूल परिवर्तन की अवधि माना जा सकता है। पहला, रिज़र्व बैंक को विधायी संशोधन के ज़रिए यह शक्ति प्रदान की गयी

कि वह बैंकों को उनके अशोध्य ऋणों का समाधान करने का निदेश दे सके और दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए बनी संरचना की धुरी के रूप में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी, 2016) को लागू करते हुए एक व्यापक, निर्णायक और विश्वसनीय समाधान संरचना की नींव रखी गयी और उसे सशक्त बनाया गया। दूसरा, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को स्वैच्छिक रूप से एसएफबी के रूप में परिवर्तित होने का अवसर दिया गया, ताकि वे अपने कार्यकलापों का दायरा बढ़ाने में और अखिल भारतीय उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम बन सकें। तीसरा, समावेशी उधार की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से सम्मिलित रूप से नवोन्मेषी नीतिगत कदम उठाए गए - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाने वाले उधार को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-कुबेर पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) के व्यापार की अनुमति देने के साथ-साथ रिज़र्व बैंक ने बैंकों तथा एनबीएफसी द्वारा ऋणों के सह-प्रवर्तन के माध्यम से प्रत्यक्ष उधारों को प्रोत्साहित किया। चौथा, संशोधित प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत करके वित्तीय समावेशन अभियान को पुनर्जीवित किया गया। पाँचवाँ, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के नए संस्करण की शुरुआत बैंकिंग प्रणाली को साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रति सचेत रहते हुए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की स्थिति में ले आयी।

I.5 इसी पृष्ठभूमि में, इस अध्याय के शेष भाग में उन परिप्रेक्ष्यों का निर्धारण किया गया है, जिनके द्वारा आने वाले समय में बैंकिंग परिदृश्य को आकार दिए जाने की संभावना है।

समाधान

I.6 रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाया गया नया समाधान फ्रेमवर्क जिसमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) रीढ़ की हड्डी की भाँति है, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि यह ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें आरंभ में ही दबाव की शीघ्र पहचान के माध्यम से संकटग्रस्त आस्तियों का अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बाजार-शक्तियां पर्यवेक्षकों द्वारा बैंकों को अनुशासित करने के प्रयासों की पूरक होती हैं, जो बैंकिंग में दबाव का पूर्वानुमान लगाती हैं और उसे शामिल करते हुए कीमत-प्रकटीकरण करती हैं। केवल ऐसा बैंक, जिसे अपना जमा-आधार खोने या अपने शेयरधारकों का कोपभाजन बनने का भय हो, वही समय रहते हानि की संभावना का पता लगा पाता है (आचार्य, 2017)।[1] बैंकिंग में आसन्न दबाव के बारे में भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बाजार कमजोर संकेत देते हैं (बॉक्स I.1)। इसके परिणामस्वरूप, नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है तथा दबाव की स्थिति प्रारंभ होते ही इससे निपटने के लिए पर्यवेक्षकों का अग्रसक्रिय हो जाना भी जरूरी होता है।

I.7 आईबीसी फ्रेमवर्क में अब तक हुई प्रगति उत्साहजनक है और पहले प्रचलित प्रणाली की तुलना में इसके अंतर्गत वसूली बेहतर हुई है। हालांकि अब तक परिसमापन के मामलों की संख्या तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, परंतु ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि इनमें से ज्यादातर मामले ऐसे हैं, जो दीर्घावधि से लंबित हैं। चूंकि इन आस्तियों के निहित मूल्य में पहले ही काफी ह्रास आ चुका था, ऐसे में समाधान की तुलना में परिसमापन एक अधिक कारगर नीति प्रतीत हुई ('दिवाला और शोधन अक्षमता : अब तक कितनी प्रभावी' विषय पर बॉक्स सं.III.1)। आईबीसी फ्रेमवर्क में लेनदार को अधिकार दिए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत तीव्र गति से और निष्पक्ष समाधान करने में सहायता मिलेगी और इससे ऋण चुकौती की संस्कृति को सुधारने में भी मदद मिलेगी। निकट भविष्य में राष्ट्रीय कंपनी विधिक प्राधिकरण (एनसीएलटी) को संदर्भित किए जाने वाले मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए

[1] आचार्य, वी. वी. (2017): 'बैंक की दबावग्रस्त आस्तियों का दृढ़तापूर्वक समाधान करने के कुछ तरीके', *आरबीआई बुलेटिन*, भाग LXXI, अंक 3, मार्च।

बॉक्स I.1 बैंकिंग क्षेत्र में संकट के भविष्यवक्ता के रूप में वित्तीय बाजार?

आदर्श स्थिति में ऋण और इक्विटी की कीमतें ऐसी होनी चाहिए जिनसे अलग-अलग बैंकों के जोखिम प्रतिबिंबित हों और बढ़ते दबाव की आशंका की सूचना मिलनी चाहिए (क्रेनर एंड लोपेज़, 2004)। सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली के तीन पिलरों (बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति, 2006) में से बाजार अनुशासन वह पिलर है, जिसके द्वारा जमाकर्ता और निवेशक अपनी निधियों का आहरण करके अथवा निधि आपूर्ति के लिए ऊंची ब्याज दर लगा कर किसी बैंक को अत्यधिक जोखिम उठाने के लिए दण्डित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बाजार कीमतें और प्रतिलाभ अलग-अलग बैंकों के जोखिम का स्तर दर्शाएंगे। चूंकि सुरक्षित जमाकर्ताओं के विपरीत, बाजार के निवेशक जोखिम प्रीमियम की मांग करते हैं, अत: बैंक का मूल्य लगाते समय वे इस जानकारी को शामिल करेंगे तथा इसके संभावित भावी कार्यनिष्पादन के अनुसार अपनी आशाओं का निर्माण करेंगे (डिस्टिंगुइन एट एल., 2006)। इसी संदर्भ में बैंकिंग विनियामक अपने विनियामक उपकरणों में बाजार अनुशासन को प्रमुख पिलर मानते हैं।

भारत की बात करें तो, आंकड़ों के ग्राफ आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि दबावग्रस्त आस्ति अनुपात और बाजार समायोजित स्टॉक प्रतिलाभ के बीच ऋणात्मक सह-संबंध है, जो इस विषय में लिखे गए साहित्य के अनुरूप है (चार्ट 1)। इसकी जांच अधिक गहनता से करने हेतु सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध 39 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के प्रदर्श को विश्लेषण के लिए चुना गया, जिसके लिए 2010 की पहली तिमाही से 2017 की चौथी तिमाही तक के रिज़र्व बैंक के पास फाइल की गई तिमाही पर्यवेक्षी विवरणियों से लेखांकन और तुलन-पत्र के आंकड़ों के साथ तिमाही स्टॉक विवरणियां, बाजार पूंजीकरण, तथा एस एंड पी सेन्सेक्सपर आधारित अतिरिक्त विवरणी को काम में लाया गया।

प्रदर्श के बैंकों के बीच समय-स्थिर अनदेखी विषमता का पता लगाने के लिए बेक और अन्य (2015) के अनुसार फिक्स्ड इफेक्ट्स पैनल फ्रेमवर्क में समीकरण (1) का अनुमान लगाया गया है। हाउसमैन टेस्ट द्वारा भी इस तरीके के चयन की पुष्टि की गई है।

$$Y_{i,t} = \alpha_i + \beta_i R_{i,t-j} + \gamma_i F_{i,t-j} + \varepsilon_{i,t} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

दबावग्रस्त आस्तियां अनुपात (एसएआर) आश्रित चर है। $R_{i,t-j}$ पर्यवेक्षी अनुपातों के वेक्टर -आस्तियों पर प्रतिलाभ, कुल आस्तियाँ तथा सीआरएआर का प्रतिनिधित्व करता है तथा $F_{i,t-j}$ सेन्सेक्स के संबंध में अतिरिक्त प्रतिलाभ तथा कीमत-बही मूल्य अनुपात दर्शाते हैं। β और γ को-एफिशिएंट वेक्टर हैं। 'j' विलंबित मूल्य दर्शाने के लिए 0,1,2 मूल्य धारण करता है।

बैंक संकट, पर्यवेक्षी और वित्तीय बाजार चरों के बीच समकालिक संबंध का मूल्यांकन सबसे पहले किया जाता है। उसके बाद, भविष्य सूचक शक्तियां सुनिश्चित करने के लिए मॉडल में स्वतंत्र चरों के एक और दो अवधि वाले विलंबित मूल्यों को शुरू किया जाता है। यदि वित्तीय बाजार वास्तव में प्रगतिशील और अत्यधिक कुशल हों, तो बाजार चरों के विलंबित मूल्यों के गुणांक सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होने चाहिए। तथापि, यह नोट करना आवश्यक है कि पर्यवेक्षी डेटा के (लगभग दो माह के) अंतराल के बाद निर्गम बनाम स्टॉक बाजार डेटा के वास्तविक समय में निर्गम के बावजूद इन दोनों के बीच सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण समसामयिक संबंध भी बैंकिंग संकट की भविष्यवाणी करने में बाजार कुशलता, हालांकि कुछ कमजोरी साथ, को दर्शा सकते हैं।

जैसी कि उम्मीद की जाती है, सेन्सेक्स समायोजित अतिरिक्त प्रतिलाभ समसामयिक तथा विलंबित संबंधों के लिए ऋणात्मक रूप से चिह्नित किया जाता है, हालांकि लंबे समय में इसका सांख्यिकीय महत्व खत्म हो जाता है (सारणी 1)। कीमत-बही मूल्य अनुपात दबावग्रस्त आस्तियों के साथ समसामयिक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण ऋणात्मक संबंध दर्शाता है। पर्यवेक्षी सूचना (उदा. आरओए, सीआरएआर और कुल आस्तियां) तथा बाज़ार सूचना का मिलान करने वाला मॉडल का आर-स्कवेयर्ड एंड अकाइके इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया (एआईसी) अन्य मॉडलों, जिनके पास केवल पर्यवेक्षी सूचना है, की तुलना में उनके स्तरों में सुधार दर्शाता है, हालांकि केवल सीमांत रूप से।

चार्ट 1 : दबावग्रस्त आस्ति अनुपात और वित्तीय बाजार चर

(जारी....)

सारणी 1: फिक्स्ड इफेक्ट्स पैनल रिग्रेशन मॉडल [निर्भर चर - दबावग्रस्त आस्ति अनुपात]

	उसी अवधि के मान सहित			एक अवधि विलंबित मान सहित			एक और दो अवधि विलंबित मानों सहित		
निरूपक चर	1	2	3	4	5	6	7	8	9
अचर	-0.038	0.107***	-0.063	0.099	0.142***	0.088	0.158*	0.158***	0.156
	(0.067)	(0.006)	(0.070)	(0.079)	(0.012)	(0.082)	(0.903)	(0.015)	(0.100)
कुल आस्तियां (लॉग में)	0.020***	-	0.023***	-0.066**	-	-0.06**	-0.79***	-	-0.07**
	(0.005)		(0.006)	(0.027)		(0.027)	(0.024)		(0.026)
कुल आस्तियां (-1)	-	-	-	0.07***	-	0.075***	0.063**	-	0.051
				(0.026)		(0.026)	(0.029)		(0.033)
कुल आस्तियां (-2)	-	-	-	-	-	-	0.024	-	0.027
							(0.018)		(0.020)
आस्तियों पर प्रतिलाभ	-0.043***	-	-0.04***	-0.027***	-	-0.027***	-0.02***	-	-0.022***
	(0.003)		(0.004)	(0.003)		(0.003)	(0.002)		(0.002)
आस्तियों पर प्रतिलाभ (-1)	-	-	-	-0.020***	-	-0.19***	-0.02***	-	-0.019***
				(0.003)		(0.003)	(0.002)		(0.002)
आस्तियों पर प्रतिलाभ (-2)	-	-	-	-	-	-	-0.003	-	-0.003
							(0.003)		(0.003)
सीआरएआर	-0.006***	-	-0.005***	-0.005***	-	-0.005***	-0.01***	-	-0.004***
	(0.001)		(0.001)	(0.001)		(0.001)	(0.001)		(0.001)
सीआरएआर (-1)	-	-	-	-0.003***	-	-0.003**	-0.002**	-	-0.002**
				(0.001)		(0.001)	(0.001)		(0.013)
सीआरएआर (-2)	-	-	-	-	-	-	-0.001	-	-0.001
							(0.001)		(0.001)
अति. प्रतिलाभ सेन्सेक्स	-	-0.036***	-0.005	-	-0.007	-0.014***	-	0.23**	-0.002
		(0.012)	(0.007)		(0.009)	(0.006)		(0.010)	(0.008)
अति. प्रतिलाभ सेन्सेक्स (-1)	-	-	-	-	-0.047***	-0.008	-	-0.010	0.001
					(0.022)	(0.010)		(0.021)	(0.008)
अति. प्रतिलाभ सेन्सेक्स (-2)	-	-	-	-	-	-	-	-0.05***	-0.014
								(0.019)	(0.009)
कीमत-बही अनुपात	-	-0.018***	-0.008***	-	-0.034***	-0.003	-	-0.03***	-0.006
		(0.006)	(0.003)		(0.007)	(0.003)		(0.008)	(0.004)
कीमत-बही अनुपात (-1)	-	-	-	-	-0.009***	-0.002	-	-0.03***	-0.002
					(0.004)	(0.003)		(0.006)	(0.004)
कीमत-बही अनुपात (-2)	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.005
								(0.005)	(0.003)
मॉडल निदानिकी									
आर- स्क्वेयर्ड (समग्र)	0.6129	0.2409	0.6216	0.6720	0.3167	0.6765	0.6726	0.3753	0.6788
एफ- टेस्ट	55.82	12.47	48.64	40.61	9.10	32.69	35.65	6.98	28.43
(प्रोब> एफ)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
एआईसी	-5872	-4817	-5888	-5533	-4492	-5534	-4977	-4155	-4981

नोट: प्रमुख मानक त्रुटियां कोष्ठक में दी गई हैं। '***', '**', तथा '*' क्रमश: 1%, 5% और 10% महत्व के द्योतक हैं।

ये परिणाम दर्शाते हैं कि बैंकिंग संकट के बारे में पूर्वानुमान करने की भारतीय बाजारों की शक्तियां कमजोर हैं, क्योंकि दीर्घावधि में ये गुणांक सही संकेत नहीं देते और / या सांख्यिकीय महत्व खो देते हैं, जिससे पता चलता है कि कीमतों में शामिल दबाव संबंधी सूचना केवल अल्पकालिक होती है।

संदर्भ

बेक,आर., जाकुबिक, पी., & पिलोइयू, ए. (2015)। की डिटर्मिनेंट्स फॉर नॉन-परफॉर्मिंग लोन्स: न्यू एविडेंस फ्रॉम ए ग्लोबल सैम्पल। ओपन इकॉनोमिक रिव्यू, 26 (3), 525-550।

डिस्टिंग्युइन, आई., रोस, पी., & ताराज़ी, ए. (2006)। मार्केट डिसिप्लिन एंड द यूज़ ऑफ स्टॉक मार्केट डेटा टु प्रेडिक्ट बैंक फाइनैंशियल डिस्ट्रेस. जर्नल ऑफ फाइनैंशियल सर्विसेज़ रिसर्च, 30 (2), 151- 176.

क्रेनर,जे. & लोपेज़, जे.ए. (2004)। इन्कॉर्पोरेटिंग इक्विटी मार्केट इन्टु सुपरवाइज़री मॉनीटरिंग मॉडल्स। जर्नल ऑफ मनी, क्रेडिट & बैंकिंग, 1043 – 1067।

एनसीएलटी को मजबूत करने की आवश्यकता पड़ सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह निर्धारित समय-सीमा में समाधान देने का अपना वायदा पूरा कर सके।

I.8 भारतीय संदर्भ में समाधान याचिकाओं के प्रभाव का निर्धारण करने वाली दो इकाइयों यथा- लेनदारों की समिति (सीओसी) तथा शोधन अक्षमता समाधान प्रोफेशनल्स (आईआरपी) – के लिए यह आवश्यक है कि वे निपुणतापूर्वक सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करते हुए प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करें। यह बहुत जरूरी है कि मामलों के समाधान में लगने वाले समय को कम किया जाए और ऐसा सौहार्द्रपूर्ण वातावरण तैयार किया जाए जो अनावश्यक विलंब को हतोत्साहित करे। इन सब बातों के होते हुए भी, उचित क्रेडिट मूल्यांकन और निगरानी, आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन, बेहतर प्रकटीकरण और सक्षम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई विकल्प नहीं है और इस पूरी प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने के लिए इन सभी को मजबूत बनाया जाना अति आवश्यक है। इस संदर्भ में, प्रस्तावित लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) उधारकर्ताओं के बारे में विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त करके उनका एक स्थान पर संकलन करेगी और वित्तीय प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण हितधारकों को इन आंकड़ों तक सुरक्षित पहुंच प्रदान कराएगी। यह अपेक्षा की जा रही है कि इससे क्रेडिट निगरानी में सुधार आएगा और देनदारों में अनुशासन लाया जा सकेगा।

पुन: पूंजीकरण

I.9 सरकार ने पीएसबी में कई चरणों में पूंजी डाली है। परंतु, पिछले तीन वर्षों (2015-18) में, डाली गयी पूंजी के 70% से अधिक भाग का इस्तेमाल बैंकों के घाटों को पूरा करने के लिए किया गया (खण्ड 4, अध्याय IV)। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि पुन:पूंजीकरण की राशि जब बैंक के कुल पूंजी आधार की तुलना में पर्याप्त बड़ी होगी, तभी इसका प्रभाव क्रेडिट संवृद्धि पर दिखाई देगा।

I.10 संचयी चूक दरों (सीडीआर) और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखी जा रही वसूली दरों के आधार पर विभिन्न क्रेडिट जोखिमों के लिए बासेल III मानकों के अंतर्गत जोखिम भारिताएं प्रस्तावित की गयी हैं। तथापि, भारत में पायी गयी सीडीआर और चूक के कारण होने वाली हानि (एलजीडी) की दरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पायी गयी इन दरों से काफी अधिक हैं। इसलिए, भारतीय बैंकों की बहियों में मौजूद ऋण आस्तियों के वास्तविक जोखिम को बासेल द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम भारिताओं को लागू करके पूरी तरह प्रकट नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, वर्तमान में बैंकों द्वारा किए जा रहे प्रावधानों का स्तर भविष्य में संभावित हानि को देखते हुए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से जिन हानियों के लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं, यदि वे कभी घटित होती हैं, तो उनके कुप्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त बफर की मौजूदगी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस बात को समझना भी आवश्यक है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में पूंजी-स्तरों की तुलना में ऐसे एनपीए का अनुपात बहुत अधिक है जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, हालांकि आईबीसी के आने के बाद और रिज़र्व बैंक द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु संशोधित फ्रेमवर्क लाए जाने के बाद, चूक दरों और वसूली दरों में सुधार के लक्षण दिखायी देने लगे हैं। इसी का उदाहरण देते हुए विनियामकीय पूंजी अपेक्षाओं को कम करने की गुहार भी लगायी जाती रही है। बहरहाल, उपर्युक्त के मद्देनज़र, जोखिम भारिताओं अथवा न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं का नये सिरे से निर्धारण करने के मामले का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता होगी – जो संरचनात्मक सुधार किए गए हैं, उनके भली-भांति स्थिर हो जाने और सीडीआर एवं एलजीडी में स्थायी सुधार होने के पुख्ता प्रमाण मिलने से पहले ही विनियामकीय ढील दिया जाना अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकता है[2]।

सुधारात्मक कार्रवाई

I.11 अप्रैल 2017 में लागू किये गये संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क के अंतर्गत शीघ्र हस्तक्षेप

[2] विश्वनाथन, एन.एस. (2018) : 'क्रेडिट जोखिम और बैंक पूंजी विनियमन पर मेरे विचार' आरबीआई बुलेटिन, भाग LXXII, अंक 11, पीपी 33-44, नवंबर।

करने और समयबद्ध तरीके से सुधारात्मक कदम उठाने की बात की गयी है ताकि बैंकों के वित्तीय हालात में तेजी से बहाली की जा सके। पर्यवेक्षण के साधनों, विनियामक/ पर्यवेक्षी प्राधिकारी को प्राप्त शक्तियों के दायरे और प्रतिबंधों के स्तरों के आधार पर अलग-अलग देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार के शीघ्र हस्तक्षेप फ्रेमवर्क मौजूद हैं। वर्ष 1991 में लागू किया गया यूएस का पीसीए फ्रेमवर्क पूंजी ट्रिगर्स पर आधारित है जबकि 2014 में लागू किए गए यूरोपियन यूनियन के शीघ्र हस्तक्षेप उपाय (ईआईएम) सम्मिश्र संकेतकों के एक समुच्चय पर आधारित हैं और इसके तहत यह आवश्यक नहीं होता कि जब भी ट्रिगर्स का उल्लंघन हो, तब हस्तक्षेप किया जाए। सक्षम प्राधिकारी को छूट दी गयी है कि ट्रिगर की घटनाओं के मूल्यांकन के आधार पर यह तय करें कि कब हस्तक्षेप करना है, और कब नहीं। रिज़र्व बैंक का पीसीए फ्रेमवर्क यूएस-पीसीए फ्रेमवर्क के अनुसरण में तैयार किया गया है, हालांकि यूएस में इसका प्रारंभ केवल पूंजी के आधार पर कर दिया जाता है जबकि भारत में इसके साथ-साथ आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता संकेतकों पर भी नज़र रखी जाती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह अति आवश्यक भी है क्योंकि प्रारंभ से ही यहां के बैंकों का प्रावधान कवरेज़ अनुपात कम रहा है, ऐसी अनुमानित हानि की राशि काफी बड़ी रही है जिसके लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं और लाभ अर्जित करने का उनका सामर्थ्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि वह उनकी भावी पूंजी में उपचित हो सके। इसका परिणाम यह हुआ है कि पूंजी का वर्तमान स्तर भविष्य में संभावित ऋण हानि को अवशोषित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त पूंजी की भरपाई[3] नहीं कर पाता।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

I.12 भारत की वित्तीय प्रणाली के बढ़ते आकार और इसमें आ रही जटिलता को देखते हुए बैंकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रणाली को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में जिन बिंदुओं पर कार्रवाई अभी अपेक्षित है, उनमें शामिल हैं – पी. जे. नायक कमेटी (2014) की सिफारिशों का कार्यान्वयन, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पीएसबी का कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमन और सरकार से उनका स्वामित्व लेते हुए बैंक निवेश कंपनी (बीआईसी) को देना शामिल है। हालांकि, अंतरिम अवधि में बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) का गठन किया जा चुका है, तथापि बीआईसी में परिवर्तन का रोडमैप अभी तैयार किया जाना है। इसके अलावा, बीबीबी को गैर-आधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी अभी सौंपी जानी शेष है।

I.13 पीएसबी के शेयरधारक निदेशकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नवंबर 2007 में जारी 'उचित और उपयुक्त' मानदण्डों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। बैंक के बोर्ड में रिज़र्व बैंक के अधिकारियों की उपस्थिति को हितों की गंभीर टकराहट उत्पन्न करने वाली माना जा रहा है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि आवश्यक विधायी परिवर्तन लाते हुए पीएसबी के बोर्डों में रिज़र्व बैंक अधिकारियों को नामित निदेशकों के रूप में नामांकित करने की अपेक्षा समाप्त की जाए।

I.14 प्रभावी कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली बैंकों को अपने वित्तीय और परिचालन मानकों में सुधार करने हेतु प्रोत्साहित करती है। इससे बैंकों को जहाँ एक ओर अधिकार मिलते हैं तो वहीं, दूसरी ओर उनमें जवाबदेही भी बढ़ती है। वर्तमान में सरकार, बीबीबी और भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन का एक निष्पक्ष फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं, और इससे पीएसबी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रूपरेखा को नये सिरे से परिभाषित किया जाएगा, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

I.15 इसके अलावा, निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों के विरुद्ध उपयुक्त विनियामकीय कार्रवाई की गयी क्योंकि उनके कामकाज और गवर्नेंस में कमियां पाई गई थीं। साथ ही, क्षतिपूर्ति की नीति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो रहीं सर्वोत्तम प्रथाओं

[3] आचार्य, वी. वी. (2018): 'त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई : वित्तीय स्थिरता फ्रेमवर्क का एक अनिवार्य घटक' *आरबीआई बुलेटिन*, भाग LXXII, अंक 11, पीपी 1-12, नवंबर।

के अनुरूप ढालने और बैंकों द्वारा उनके पूर्णकालिक निदेशकों के लिए मांगे जाने वाले पारिश्रमिक के निष्पक्ष आकलन के उद्देश्य से क्षतिपूर्ति पर वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा करने की योजना बनाई गयी है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)

I.16 बीते दिनों गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बड़े चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ा है। एक प्रणालीगत रूप से बड़ी एनबीएफसी में कर्ज चुकौती में की गयी चूक ने कमजोर कड़ियों को उजागर किया है और क्षेत्र में व्यापक रूप से विनियामकीय सतर्कता को और विशेष रूप से आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) फ्रेमवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की गयी है। वर्तमान एएलएम दिशानिर्देश जमाराशि स्वीकार न करने वाली ऐसी एनबीएफसी पर लागू हैं जिनका आस्ति आकार ₹1 बिलियन या उससे अधिक है और जमाराशि स्वीकार करने वाली ऐसी एनबीएफसी पर लागू हैं जिनका जमा-आधार ₹0.2 बिलियन या उससे अधिक है। इस क्षेत्र के लिए निर्धारित एएलएम दिशानिर्देश एएलएम के तीन स्तंभों से संबंधित हैं अर्थात् एएलएम सूचना प्रणालियाँ, एएलएम संगठन (आस्ति देयता समिति (आल्को) का गठन और इसका संघटन इसमें शामिल है) और एएलएम प्रक्रिया। इनमें संरचनात्मक चलनिधि, अल्पावधि गतिशील चलनिधि और ब्याज-दर संवेदनशीलता के संबंध में की गयी अपेक्षाओं का ब्योरा भी शामिल है। तथापि, ये अनुदेश उतने व्यापक नहीं हैं जितने बैंकों के लिए बने निदेश। इसके अलावा, पंजीकृत कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी-एनडीएसआई) के लिए एएलएम अनुदेश बहुत ही कम हैं। रिज़र्व बैंक की मंशा है कि बैंकों की भांति ही एनबीएफसी के लिए बने एएलएम फ्रेमवर्क को भी मजबूत किया जाए और विभिन्न श्रेणियों की एनबीएफसी के लिए इसमें एकरूपता लायी जाए।

साइबर सुरक्षा

I.17 बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी जहाँ संवृद्धि और नवोन्मेष के अवसर उपलब्ध कराती है, वहीं इसमें नई-नई चुनौतियां और जोखिम भी हैं। सभी अर्थवस्थाओं के साइबर जोखिम की गिरफ्त में आ जाने का डर बना हुआ है, और विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में जहाँ एक ओर प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ रही है, वहीं डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी में तीव्र वृद्धि, वित्तीय बाजारों के परिचालनकर्ताओं के बीच उच्चस्तरीय अंतर्निर्भरता और अंत:संबद्धता और हमलावरों की बढ़ती विविधता के कारण साइबर खतरों की संख्या और उनके तरीकों में कुशलता बढ़ रही है और ऐसे में भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और इसके सहभागियों की सुरक्षा के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो गया है। साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता, लेखापरीक्षा तथा निरंतर निगरानी करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भुगतान प्रणाली प्रदाताओं से यह अपेक्षित है कि वे साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं और साइबर सुरक्षा उल्लंघन की निगरानी, उससे निपटने और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक प्रक्रिया लागू करें। गवर्नेंस को प्रभावी बनाते हुए, व्यापक साइबर जोखिम और आघात सहनीयता नीतियाँ तैयार करना तथा उनका सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन करना आवश्यक होगा।

I.18 रिज़र्व बैंक साइबर सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी सहित विभिन्न पर्यवेक्षी कार्यों को सम्पन्न करने के लिए एक एकीकृत अनुपालन और ट्रैकिंग प्रणाली पोर्टल स्थापित करने की योजना बना रहा है। साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए बने ऑन-लाइन पोर्टल का विस्तार करते हुए इसके अंतर्गत अन्य विनियमित इकाइयों को भी कवर किया जाएगा।

I.19 रिज़र्व बैंक बैंकों की आस्ति गुणवत्ता की निगरानी और दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान का कार्य जारी रखेगा और इसके अंतर्गत नये समाधान फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जाएगा। अन्य क्षेत्र जिनमें नीतिगत कार्रवाई किए जाने की योजना है, में इंड-एएस का कार्यान्वयन, गैर-केंद्रीकृत समाशोधन वाले व्युत्पन्नियों के लिए विभिन्न मार्जिन आवश्यकताओं पर अंतिम दिशानिर्देश जारी करना,

बैंकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रतिभूतीकरण के लिए एक संशोधित फ्रेमवर्क बनाना शामिल हैं। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक एक्सपोजर / निवेश मानदण्ड, जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क और बासेल III पूंजी फ्रेमवर्क की चुनिंदा अपेक्षाओं को शामिल करते हुए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई) को संशोधित विवेकपूर्ण विनियम जारी करेगा। वित्तीय सेवाओं में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए अन्य विनियामकों के साथ सहयोग समझौते किए जाएंगे। साथ ही, भारत में बैंकिंग संरचना को फिर से उन्नतिशील बनाने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी बैंकों की सहायक संस्थाएं बनाने पर मौजूदा नीति की समीक्षा की जाएगी।

I.20 भारतीय बैंकिंग प्रणाली के वित्तीय हालात में सुधार करने और असुरक्षा को कम करने के लिए हाल की अवधि में किए गए नीतिगत उपायों के बल पर यह एक आमूलपरिवर्तन के मुहाने पर खड़ी है। आस्ति गुणवत्ता में आरंभिक सुधार के लक्षण दिखाई देने लगे हैं, हालांकि बैंकिंग प्रणाली की समुत्थानशीलता और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए यह अपेक्षित है कि नीतिगत समर्थन निरंतर मिलता रहे।